फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 13.12.2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में नवंबर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ नवंबर, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का नवंबर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर संसद के दोनों सदनों और दूसरी ओर सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है।

संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 1 नवंबर, 2021 को नोट संख्या 07/2021 दिनांक 01.11.2021 पर विचार करने के लिए बैठक की और यह अनुमोदित किया कि संसद के दोनों सदनों को शीतकालीन सत्र, 2021 के लिए सोमवार, 29 नवंबर, 2021 से बुलाया जाए और सत्र को सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए गुरूवार, 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त किया जाए।

17वीं लोक सभा का 7वां सत्र और राज्य सभा का 255वां सत्र (शीतकालीन सत्र, 2021) सोमवार, 29 नवंबर, 2021 से आरंभ हुआ।

विधायी कार्य से संबंधित विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

2. संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से नवंबर, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 97004 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 57072 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1701 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 820 आश्वासन लंबित हैं।

नवंबर, 2021 मास के दौरान, 10 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 5 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

3. लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

नवंबर, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 नवंबर को लंबित मामले	95	158
माह के दौरान उठाए गए मामले	48	3
नवंबर के दौरान प्राप्त उत्तर	26	5
शेष मामले	117	156

4. परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

नवंबर, 2021 के दौरान:-

(i) परामर्शदात्री समितियों की सात बैठकें आयोजित की गई।

(ii) एक संसद सदस्य का नाम उनके त्यागपत्र देने के कारण परामर्शदात्री समिति से हटाया गया।

उपरोक्त से संबंधित विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

5. **<u>डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन</u>**

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

नवंबर, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 2100 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

6. **<u>युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना</u>**

नवंबर, 2021 मास के दौरान-

(क) राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 224 विद्यालयों के पंजीकरणों की समीक्षा की गई और इनमें से 34 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

7. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन**

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

नवंबर, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर 18 राज्यों (20 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (दोनों सदन), झारखंड और मिजोरम शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 13 राज्यों (14 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश (विधान परिषद) और हरियाणा शामिल हैं जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदनों) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

नवंबर, 2021 मास के दौरान -

(i) केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू), नेवा की टीम ने 16-17 नवंबर, 2021 को बिहार विधान परिषद में नेवा के कार्यान्वयन में मदद और जांच करने के लिए बिहार का दौरा किया। दौरे के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए:-

(क) विधान परिषद के माननीय सदस्यों के समक्ष नेवा साफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुति दी गई। विधान परिषद के माननीय सदस्यों को व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया ताकि वे नेवा साफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स का उपयोग कर सकें।

(ख) सीपीएमयू, नेवा के अधिकारियों द्वारा बिहार विधान परिषद के दौरे के पश्चात बिहार विधान परिषद द्वारा कई पहल की गई:-

- संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निधियां जारी होने के पश्चात, नेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सदन में नए उपकरण और अन्य हार्डवेयर स्थापित किए गए। इस संदर्भ में, बिहार विधान परिषद देश में पहला ऐसा सदन बन गया है जिसने नेवा का उपयोग करते हुए सदन के डिजिटलीकरण के लिए सदन के भीतर हार्डवेयर अवसंरचना स्थापित कर ली है।
- 25 नवंबर, 2021 को बिहार विधान परिषद में नेवा का एकीकरण मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा किया गया। परिणामस्वरूप, बिहार विधान परिषद अपने कार्यचालन को नेवा प्लेटफार्म पर पूरी तरह माईग्रेट करने वाला देश का पहला सदन बन गया है।
- हार्डवेयर की स्थापना और सीपीएमयू, नेवा द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत, बिहार विधान परिषद ने 29 नवंबर, 2021 से अपने शीतकालीन सत्र का संचालन नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से किया। इसके अलावा विधान परिषद से संबंधित विभिन्न कार्य नेवा साफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे कि प्रश्न संसाधन, रिपोर्टिंग, ई-बुक आदि का उपयोग करते हुए निपटाए गए।

(ii) 30 नवंबर, 2021 को कर्नाटक विधान सभा के लिए आभासी माध्यम से एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान, कर्नाटक विधानसभा के अधिकारियों को नेवा सॉफ्टवेयर के बुनियादी प्रशिक्षण और जानकारी दी गई जिसमें उनकी शंकाओं पर स्पष्टीकरण भी शामिल था।

8. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1814 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 7430 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 39114 हो गई है।

*****

अनुबंध-I

17वीं लोक सभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र (नवंबर, 2021) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
2. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021

II. राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

III. लोक सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया विधेयक

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

अनुबंध-II

नवंबर, 2021 के दौरान आयोजित विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	सोमवार, 1 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे	सूचना और प्रसारण	प्रसारण में नई प्रौद्योगिकी	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
2	मंगजवार, 9 नवंबर, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	अंतरदेशीय जलमार्गों का विकास	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
3	शुक्रवार, 12 नवंबर, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे	विदेश	क्वाड और इंडो-पेसिफिक	जवाहर लाल नेहरू भवन (सम्मेलन कक्ष 1) गेट नं.1, सी-विंग, 26डी, जनपथ, नई दिल्ली
4	रविवार-सोमवार, 14-15 नवंबर, 2021	इस्पात	इस्पात उपयोग	केवडिया, गुजरात
5	शुक्रवार, 19 नवंबर, 2021	वाणिज्य और उद्योग	कोविड स्थिति के पश्चात विनिर्माण और पुनःप्रवर्तन के लिए निवेश को प्रोत्साहन	होटल रेडीसन ब्ल्यू, गुवाहाटी, असम
6	शुक्रवार, 19 नवंबर, 2021	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	एक राष्ट्र एक राशन कार्ड	होटल रेडीसन ब्ल्यू, गुवाहाटी, असम
7	शनिवार, 20 नवंबर, 2021	वस्त्र	रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का विकास	क्लासिक ग्रांड ममांग, चिंगमीयरोंग, इम्फाल (ई), मणिपुर

संसद सदस्यों का विवरण जिनके नाम नवंबर, 2021 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित थे	कारण
1	श्री बाबुल सुप्रियो, संसद सदस्य (लोक सभा)	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	22.10.2021 को त्यागपत्र दे दिया था